तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
18, Institutional Area,SaheedJeet Singh Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न./Phone no.26858570, फैक्स/FAX 26514179
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.com

फ.सं.110333/1/2011/केविसं(मु.)/शै. दिनांक: 04 मार्च, 2014

कार्यालय ज्ञापन

केविसं के अधिशासी मंडल द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2012 को संपन्न अपनी 91वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के कार्यकाल के घंटे/अवधि प्रतिदिन 7.30 घंटे (प्रति सप्ताह 45 घंटे) होंगे। शिक्षकों द्वारा इस अतिरिक्त 1 घंटे 20 मिनट की अवधि का प्रयोग विद्यालय समय के पश्चात विभिन्न कार्यो जैसे कार्य योजना, तैयारी करना, मूल्यांकन जैसे कार्यो के लिए उपयोग में लाया जाना था तथा यह कार्य विद्यालय परिसर में ही किए जाने की व्यवस्था थी।

केविसं के अधिशासी मंडल की 27 फरवरी, 2014 को संपन्न 97वीं बैठक में उपर्युक्त निर्णय का पुनरावलोकन किया गया और यह निर्णय लिया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुपालन में शिक्षकों के कार्यकाल के घंटे/अवधि प्रति सप्ताह 45 घंटे ही रहेगी। तथापि शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि 1 घंटे 20 मिनट के अतिरिक्त समय का उपयोग तैयारी और अन्य तत्संबंधी कार्यो में लाएं। इस समय को शिक्षकों द्वारा वरीयतन (preferably) विद्यालय में व्यतीत किया जाए। इस अतिरिक्त 1 घंटे 20 मिनट के दौरान किए गए कार्य की मॉनीट्रिंग प्राचार्य/उप प्राचार्य/मुख्याध्यापक द्वारा की जाएगी।

उपर्युक्त व्यवस्था इस आदेश के जारी करने की तिथि से लागू होगी।

हिंदी एवं अंग्रेजी पत्रों के कथन के अर्थ में यदि कोई भी विरोधाभास प्रतीत हो, उस स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

(डॉ. वी. विजयालक्ष्मी)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

वितरण:-

1. उपायुक्त, केविसं, समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को इन निदेशों के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने अधीनस्थ सभी कैंद्रीय विद्यालयों में तुरंत परिचालित करें।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्मिक), केविसं(मु.), नई दिल्ली।
3. उपायुक्त, सभी क्षेत्रीय कार्यालय, जैडआईईटी को सूचनार्थ।
4. केविसं (मु.), नई दिल्ली के सभी अन्य अधिकारी।
5. सभी मान्यता प्राप्त संघों के अध्यक्ष।
6. उपायुक्त (शैक्षिक/ई.डी.पी.) को केविसं की वेबसाइट पर लोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल